



जानें, समझें, पे-पॉइन्ट संचालक/बैंकिंग संवाददाता बनें स्थायी रोजगार, बेहतर आय, अपने गांव में पे-पॉइन्ट खोलें

पे-पॉइन्ट खोलने के लाभ

- अतिरिक्त आय का साधन • प्रत्येक लेन-देन पर पाएँ निर्धारित दर पर निश्चित कमीशन
- सरकार द्वारा मुफ्त माइक्रो एटीएम मशीन • ऑफिस, कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि की कोई आवश्यकता नहीं

पे-पॉइन्ट संचालक/बैंकिंग संवाददाता की भूमिका

भामाशाह योजना के नकद लाभों (जैसे पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति, जननी सुरक्षा आदि) की राशि का आपकी पंचायत के लाभार्थियों को वितरण

पे-पॉइन्ट खोलने के लिए पात्रताएं

- आवेदक 10वीं कक्षा पास हो
- आवेदक जिस गांव में पे-पॉइन्ट खोलना चाहता है, उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो
- आवेदक के पास लाभ राशि वितरण करने के निर्धारित समय पर 40 से 50 हजार रुपये हों ताकि आप लाभार्थियों को आवश्यक राशि अपने पास से दे सकें। ये राशि 1 से 2 दिन में कमीशन के साथ आपके खाते में भेज दी जाती है।

नोट: आवेदक अपने पास आवश्यक राशि रखने में असमर्थ हों तो भारत सरकार द्वारा संचालित मुद्रा लोन स्कीम के अंतर्गत मुद्रा लोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

ज़्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6127 पर कॉल करें या bc.rajasthan@rajasthan.gov.in पर ई-मेल करें
यदि आप पे-पॉइन्ट खोलने के इच्छुक हैं और उपरोक्त शर्तें पूरी करते हैं तो नीचे दिये गये फॉर्म को भरकर पंचायत समिति में प्रोग्रामर, सूचना सहायक या सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में जमा करवाएं।

बैंकिंग संवाददाता-पे पॉइन्ट

आवेदन पत्र

निजी जानकारी

स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP) का नाम			
जन्म तिथि	पैन कार्ड	आधार नंबर	ई-मेल
आवेदक का नाम		भामाशाह नंबर	
पिता/पति का नाम		मोबाइल नंबर	
स्थायी पता (ग्रामीण <input type="checkbox"/> /शहरी <input type="checkbox"/>)			
पता (अंग्रेजी में)			
पता (हिन्दी में)			
देश	राज्य	डिवीज़न	जिला
तहसील	नगरपालिका	वार्ड	पिनकोड

बैंक की जानकारी

बैंक का नाम	आई एफ एस सी कोड
ब्रांच का नाम	खाता संख्या